

e-Mail

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

स०सं०:- 03/भू०अ०नि० (6) विशेष सर्वे०-13/2024 (खण्ड).....2295

प्रेषक,

सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,  
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/  
अररिया/पूर्णिया/सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/  
मधेपुरा/प० चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/  
शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा/कटिहार/किशनगंज।

पटना, दिनांक : 10/07/2024

विषय :- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत प्रपत्र-25 में तैयार किए गए अधिकार अभिलेख (खतियान) को राजस्व प्रशासन में अनुवर्ती कार्य हेतु प्रेषण के संबंध में।  
प्रसंग :- भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक-1961 दिनांक-04.08.2022 एवं पत्रांक-5915 दिनांक-20.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा-11 एवं नियमावली, 2012 के नियम-15 के अंतर्गत निर्मित प्रारूप अंतिम अधिकार-अभिलेख (खतियान) का प्रकाशन आपके जिला द्वारा किया जा रहा है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम-15 उप नियम-3 अंतर्गत अंतिम रूप से प्रकाशित वैसे अधिकार अभिलेख के विरुद्ध दावा/आपत्ति प्राप्त कर उप नियम-7 के अधीन उसका निपटारा 90 दिनों के अंदर किये जाने का प्रावधान है।

ज्ञातव्य हो कि नियमावली के नियम-15 उप नियम-8 के अनुसार संबंधित राजस्व ग्राम का प्रपत्र-25 में तैयार किये गये अधिकार-अभिलेख (खतियान) की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति, अभिधारी खाता पंजी तैयार करने हेतु संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी को एवं मालिकी फर्द प्रति संबंधित जिले के समाहर्ता को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, ताकि राजस्व प्रशासन में अनुवर्ती कार्य यथा-दाखिल खारिज, लगान वसूली किये जाने के साथ-साथ भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र इत्यादि तैयार किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि अंतिम रूप से प्रकाशित वैसे अधिकार अभिलेख जिनके विरुद्ध दावा/आपत्ति प्राप्त कर उसका निपटारा 90 दिनों के अंदर कर लिया गया हो, संबंधित राजस्व ग्राम का प्रपत्र-25 में निर्मित अधिकार अभिलेख (खतियान) की मुद्रित एवं सॉफ्ट प्रति अंचल अधिकारी एवं समाहर्ता को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

(सुहर्ष भगत) 09/08/24  
निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप।

ज्ञापक : 03/भू०अ०नि० (6) विशेष सर्वे०-13/2024 (खण्ड).....2295 पटना, दिनांक: 10/07/2024

प्रतिलिपि:- हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, GISC/IIC/Arahas को निदेशित किया जाता है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 (यथा संशोधित, 2026) के नियम-15 उप नियम-8 के अंतर्गत प्रपत्र-25 में तैयार अंतिम अधिकार-अभिलेख के अनुरूप उक्त राजस्व ग्राम का विशेष सर्वेक्षण मानचित्र को भू-नक्शा सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

**e-Mail**

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे0-13/2024 (खण्ड) 2295 पटना, दिनांक: 10/07/2024  
प्रतिलिपि : श्री कुणाल किशोर/श्री प्रिंस कुमार, प्रोग्रामर को निदेशित किया जाता है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 (यथा संशोधित, 2026) के नियम-15 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार प्रपत्र-25 में अंतिम अधिकार-अभिलेख भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार करने हेतु जिलों के संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय से समन्वय स्थापित कर करना सुनिश्चित करेंगे।

विशेष कार्य पदाधिकारी,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे0-13/2024 (खण्ड) 2295 पटना, दिनांक: 10/07/2024  
प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, आई0टी0 सेल/विशेषज्ञ सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाण बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नोडल पदाधिकारी, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि अंतिम रूप से निर्मित विशेष सर्वेक्षण मानचित्र (प्रपत्र-25 में निर्मित अधिकार-अभिलेख के अनुरूप) से संबंधित डाटा तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेन्सियों से प्राप्त कर उसकी जाँच विशेषज्ञ सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाण बिहार, पटना के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे साथ ही विशेष सर्वेक्षण मानचित्र को भू-नक्शा सॉफ्टवेयर पर अपलोड किये जाने सम्बन्धी कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

विशेष कार्य पदाधिकारी,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे0-13/2024 (खण्ड) 2295 पटना, दिनांक: 10/07/2024  
प्रतिलिपि : उप सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे0-13/2024 (खण्ड) 2295 पटना, दिनांक: 10/07/2024  
प्रतिलिपि:- उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 (यथा संशोधित, 2026) के अंतर्गत प्रपत्र-25 में तैयार अंतिम अधिकार-अभिलेख/मानचित्र परिरक्षण एवं भावी निदेश हेतु सभी संबंधित जिलों से प्राप्त करने की कृपा करेंगे।

विशेष कार्य पदाधिकारी,

भू-अभिलेख एवं परिमाण


ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे0-13/2024 (खण्ड) 2295 पटना, दिनांक: 10/07/2024  
प्रतिलिपि : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार (अन्य 18 जिला) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे0-13/2024 (खण्ड).....2295.....पटना, दिनांक: 10/07/2024


प्रतिलिपि :- अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित, 2017) की धारा-11 एवं बिहार दाखिल खारिज अधिनियम संशोधन, 2021 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख के अनुरूप अंचलस्तरीय जमाबंदी संधारित करने एवं नई जमाबंदी के आलोक में Textual & Spatial Mutation की प्रक्रिया के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।



विशेष कार्य पदाधिकारी,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे0-13/2024 (खण्ड).....2295.....पटना, दिनांक: 10/07/2024

प्रतिलिपि :- सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप